विलोपित विलोपित विलोपित

(27)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक, ।२०१८ निगरानी
निगरानी-4428/2018/शिवपुरी/भू.रा.

श्री ग्र.सं. के० ... द्वारा आज दि. 16-7-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 25-7-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 16-7-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पंजाब सिंह पुत्र श्री सूबा सिंह,
निवासी ग्राम भैखोदा, तहसील नरवर,
जिला शिवपुरी-मध्यप्रदेश ।

-------- प्रार्थी

बिरुध्द

कल्याण सिंह पुत्र मोतीलाल,
निवासी ग्राम भैखोदा, तहसील नरवर, जिला-
शिवपुरी-मध्यप्रदेश ।

------- प्रतिप्रार्थी

निगरानी बिरुध्द आदेश नायब तहसीलदार महोदय, नरवर, दिनांक ४-७-२०१८, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० १४६।१७-१८-अ-१२ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, राजस्व निरीक्षक द्वारा दिये गये कथित सीमांकन हेतु नियत दिनांक की गई सूचना प्रार्थी को समीपस्थ कृषक होते हुये भी नहीं दी गई, ऐसी स्थिति में कथित सीमांकन को विधिवत नहीं माना जा सकता है ।

३- यह कि, कथित सीमांकन सूचना न तो राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा हस्ताक्षरित है, न उसमें सीमांकन का दिनांक एवं स्थल पर उपस्थिति व रहने का दिनांक ही अंकित है, ऐसी स्थिति में कथित कार्यवाही अवैध अनियमित एवम् विधि विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4428/2018/शिवपुरी/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/4/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी नरवर जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>अनुविभागीय अधिकारी नरवर</u>**	